उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः- 09.03.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांकः- 09.03.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 09.03.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

कानून-व्यवस्था एवं बैंकिंग सुरक्षा के दृष्टिगत महोबा पुलिस द्वारा बैंक चेकिंग अभियान

आज दिनांक 09.03.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन में, रविवार की साप्ताहिक अवकाश के उपरांत सोमवार को बैंक खुलते ही जनपद महोबा में बैंक चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान बैंकिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से संचालित किया गया।

अभियान के दौरान महोबा पुलिस द्वारा बैंकों के अंदर एवं बाहर संदिग्ध व्यक्तियों, बैंक में आने-जाने वाले ग्राहकों तथा वाहनों की सघन जांच की गई। साथ ही बैंक परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, सुरक्षा गार्डों की तैनाती एवं अन्य सुरक्षा प्रबंधों का भी निरीक्षण किया गया।

पुलिस अधिकारियों द्वारा बैंक प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए।

इसी क्रम में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में बैंक चेकिंग की गई, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच की गई तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सुरक्षा एवं सतर्कता के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही आमजन को साइबर ठगी से बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देकर जागरूक किया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग लेन-देन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। महोबा पुलिस द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने चोरी किए गए पशुओं को बेचकर अर्जित धनराशि सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, 14,000 रुपये बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में जनपद में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा चोरी की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना कुलपहाड़ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 22.02.2026 को वादी भगवानदास पुत्र किशोरीलाल निवासी मोहल्ला नेताजी वार्ड, कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा द्वारा सूचना दी गई कि उनके बाड़े में रामलला मंदिर के पीछे बंधी तीन भैंस एवं एक पड़िया को अज्ञात चोरों द्वारा पिकअप वाहन संख्या UP95 AT 4297 से चोरी कर लिया गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना कुलपहाड़ पर दिनांक 22.02.2026 को मु0अ0सं0 32/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त घटना के सफल अनावरण एवं घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए दिनांक 08.03.2026 को कम्बोद यादव उर्फ बब्लू की चाय की दुकान के पास, कस्बा कुलपहाड़ से प्रकाश में आए अभियुक्त रोशन रैकवार पुत्र प्यारेलाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम पथनौड़ी थाना राठ जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किए गए पशुओं को बेचकर अपने हिस्से में प्राप्त धनराशि 14,000 रुपये बरामद की गई।

उक्त अभियुक्त को मु0अ0सं0 32/2026 धारा 303(2)/317(2)/112(2) बीएनएस से संबंधित अपराध में गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

ध्यातव्य रहे कि पूर्व में उपरोक्त प्रकरण में 03 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा जा चुका है तथा घटना में संलिप्त शेष अभियुक्तो की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किये जा रहे है, शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

बरामदगी का विवरण-

चोरी किए गए पशुओं को बेचकर अपने हिस्से में प्राप्त धनराशि 14,000 रुपये बरामद।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हरीशंकर यादव
2. उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य
3. का0 विक्की चौधरी

गिरफ्तार अभियुक्त-

रोशन रैकवार पुत्र प्यारेलाल, उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम पथनौड़ी थाना राठ जनपद हमीरपुर